



भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

STAMP CHARGE
जीवन लक्ष्य 40
JEEVAN TARUN

(जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 द्वारा संशोधित)
(Established by the Life Insurance Corporation Act, 1956)



भाग - अ

भारतीय जीवन बीमा निगम को (जिसे यहां बाद में "निगम" कहा गया है) यहां नीचे संदर्भित अनुसूची में उल्लिखित प्रस्तावक तथा बीमित व्यक्ति से प्रस्ताव तथा घोषणापत्र और पहले प्रीमियम की प्राप्ति हुई है और उक्त प्रस्ताव तथा घोषणा पत्र पर, उनमें निहित तथा उल्लिखित शर्तों सहित, उक्त प्रस्तावक और निगम के बीच इस बीमा के आधार के रूप में संपत्ति हो गयी है। अतः निगम इस पॉलिसी द्वारा कथार करता है कि अनुसूची में निर्धारित परतों प्रीमियमों की विधित प्राप्ति होने पर और उसके प्रतिफल स्वतंत्र बीमा राशि का पुस्तान बिना किसी ब्याज के, निगम और निगम के शाखा कार्यालय में, जहां इस पॉलिसी के लिए सेवा उपलब्ध कराई जाती है, उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को जिन्हें यह उक्त अनुसूची की शर्तों के अनुसार देय हो, निगम को इस बात का संतोषजनक प्रमाण प्रस्तुत करने पर करेगा कि अनुसूची के शर्तों के अनुसार हितलाभ देय हो गए हैं और उसका दावा करने वाला/बाले उक्त व्यक्ति उक्त/उसके हकदार है और प्रस्ताव पत्र में उल्लिखित बीमित व्यक्ति की आयु सही है यदि पहले से स्वीकृत न हो।

और एतद्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि यह बीमा पॉलिसी इनके पोछे की तरफ सभी परिनायाओं, हितलाभों, सेवा प्रदान करने से संबंधित शर्तों, अन्य नियमों और शर्तों तथा वैधानिक प्रावधानों और निम्नलिखित अनुसूची तथा निगम द्वारा लागू गए प्रत्येक पृष्ठोंकन जिते पॉलिसी का अंग माना जाएगा, के विषयक माने होंगे।

PART-A

THE LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (hereinafter called "the Corporation") having received a Proposal along with Declaration and the first premium from the Proposer and the Life Assured named in the Schedule referred to herein below and the said Proposal and Declaration with the statements contained and referred to therein having been agreed to by the said Proposer and the Corporation as basis of this assurance do by this Policy agree, in consideration of and subject to the due receipt of the subsequent premiums as set out in the Schedule, to pay the Benefits, but without interest, at the Branch Office of the Corporation where this Policy is serviced to the person or persons to whom the same is payable in terms of the said Schedule, on proof to the satisfaction of the Corporation of the Benefits having become payable as set out in this Policy Document, of the title of the said person or persons claiming payment and of the correctness of the age of the Life Assured stated in the Proposal if not previously admitted.

And it is hereby declared that this Policy of Assurance shall be subject to the Definitions, Benefits, Conditions Related To Servicing Aspects, Other Terms And Conditions and Statutory Provisions printed on the back hereof and that the following Schedule and every endorsement placed on the Policy by the Corporation shall be deemed part of the Policy.

मण्डल कार्यालय / DIVISIONAL OFFICE:

तालिका / SCHEDULE

शाखा कार्यालय / BRANCH OFFICE:

229

पॉलिसी सं.: Policy No:	बीमा राशि (₹): Sum Assured (Rs.):	मूल प्रदान के लिए अंतिम प्रीमियम की देय तिथि: Due Date of Payment of Last Premium for Basic Plan
पॉलिसी की आरंभ तिथि: Date of Commencement of Policy:	चुना गया विकल्प: Option chosen:	17/10/2036
277188351	500000	
खोखिन के आरंभ होने की तिथि: Date of Commencement of Risk:	मूल प्रदान के लिए प्रीमियम की किरत (₹): Payment Premium for Basic Plan (Rs.):	पॉइडर राइडर के लिए अंतिम प्रीमियम की देय तिथि: Due Date of Payment of Last Premium for PWB Rider.
17/10/2017	4	17/10/2036
पॉइडर राइडर के लिए खोखिन के आरंभ होने की तिथि: Date of Commencement of Risk for PWB Rider:	एलआईसी के प्रीमियम की लान (पॉइडर राइडर के लिए प्रीमियम की किरत (₹): Instalment Premium for LIC's Premium Waiver Benefit (PWB) Rider (Rs.):	बीमित व्यक्ति की जन्म तिथि: Date of Birth of the Life Assured:
16/10/2017	22717.00	09/07/2017
प्लान तथा पॉलिसी की अवधि: Plan & Policy Term:	कुल प्रीमियम की किरत (₹): (समय-समय पर लागू अनुसार सर्विस टैक्स अतिरिक्त लिया जाएगा) Total Instalment Premium (Rs.): (Service Tax is charged extra as applicable from time to time)	प्रस्तावक की जन्म तिथि: Date of Birth of the Proposer:
834 25	794.88	01/12/1982
प्रीमियम भुगतान अवधि: Premium Paying Term:	कुल प्रीमियम की किरत (₹): (समय-समय पर लागू अनुसार सर्विस टैक्स अतिरिक्त लिया जाएगा) Total Instalment Premium (Rs.): (Service Tax is charged extra as applicable from time to time)	बीमित व्यक्ति की उम्र: Age of the Life Assured:
20	21922.12	00
निहित होने की तिथि: Date of Vesting:	प्रीमियम भुगतान की देय तिथि: Due date of premium:	प्रस्तावक की उम्र: Age of Proposer:
17/10/2036	17th	35
परिवर्तन की तिथि: Date of Maturity:	प्रीमियम के भुगतान का माध्यम: Mode of payment of Premium:	क्या उम्र स्वीकृत है? Whether age Admitted?
17/10/2037	Yly	

नोट: प्लान न (हितलाभ) की शर्त 5 के अंतर्गत एलआईसी के प्रीमियम माफ़ी हितलाभ राइडर की शर्त केवल तभी लागू होगी अगर इस राइडर को चुना गया हो।
Note: Conditions of the LIC's Premium Waiver Benefit Rider mentioned under Condition 5 of Part C (Benefits) shall only apply if this Rider has been opted for.

प्रस्ताव सं.: Proposal No:	प्रस्ताव की तिथि: Date of Proposal:	हितलाभ उदाहरण संदर्भ सं.: Benefit Illustration Reference No:
11567	16/10/2017	229 00000000

प्रस्तावक का नाम और पता: Name and address of Proposer:	बीमित व्यक्ति का नाम और पता: Name and address of Life Assured:
DIVISHA SINGH D/O. SRI VIKASH SINGH 18/102, KRANTIPURI JAIL GARDEN DIST, RAEBARELI 229001	DIVISHA SINGH D/O. SRI VIKASH SINGH 18/102, KRANTIPURI JAIL GARDEN DIST, RAEBARELI 229001

सामर्थी, हितलाभ जिसे देय है Beneficiary to whom Benefits payable	प्रस्तावक (निहित होने की तिथि से पहले) या बीमित या बीमा अधिनियम 1938 की धारा 39 के अंतर्गत अभ्यर्षिणी को या बीमा अधिनियम 1938 की धारा 39 के अंतर्गत नामितों को या प्रमाणित निष्पादकों या प्रशासकों या अन्य वैधानिक प्रतिनिधियों को जिन्होंने उसकी संपदा या इस पॉलिसी के अंतर्गत देय राशि के लिये भारत संघ के किसी राज्य या संघ शासित प्रदेश के किसी न्यायालय, जो भी लागू हो, से अपनी प्रतिनिधि होने का प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो। The proposer (before the vesting date) or the Life Assured or his Assignee under section 38 of Insurance Act, 1938 or Nominees under Section 39 of the Insurance Act, 1938 or proved Executors or Administrators or other Legal Representatives who should take out representation to his/ her Estate or limited to the moneys payable under this Policy from any Court of any State or Territory of the Union of India, as applicable.
---	---

प्रीमियम किस अवधि तक देय Period during which premium payable	अंतिम प्रीमियम के भुगतान की देय तिथि या बीमित व्यक्ति की उससे पूर्व मृत्यु होने तक Till the stipulated due date of payment of last premium or earlier death of the life assured.
प्रीमियम देय होने की तिथि Dates when premium payable	निर्धारित देय तिथि को On the stipulated due date in October

निगम के लिए उपरोक्त शाखा कार्यालय पर हस्ताक्षरित, जिसका पता अंतिम पृष्ठ पर दिया गया है तथा जिस पर पॉलिसी से संबंधित सभी पत्राचार भेजे जाने चाहिए।
Signed on behalf of the Corporation at the above mentioned Branch Office, whose address is given on the last page and to whom all communications relating to the policy should be addressed.

दिनांक / Date: **24/03/2018** PLEASE SEE LAST PAGE
जांचकर्ता / Examined by: भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा प्रथम, रायबरेली
फॉर्म नं. / Form No: कृते मुख्य/वरिष्ठ/शाखा प्रबंधक p. Chief/ Sr./ Branch Manager

एजेंसी कोड Agency Code	एजेंट का नाम Agent's Name	एजेंट का मोबाइल नंबर/लैंडलाइन नंबर Agent's Mobile Number/Landline Number
07042229 0007929	SMT. NEELAM SINGH	